संख्या-111/2022/99/71-2099/2874/2020

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2022**

विषय:-संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैर संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के सादृश्य भत्ते प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अधि0/आरएसडी-208/17/ 392/2021, दिनांक 19.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैर संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के सादृश्य वर्दी भत्ता, हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त 7 वें वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा एम्स, नई दिल्ली में लागू व्यवस्था के क्रम में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत पात्र गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समान देय वर्दी भत्ता तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के अधीन अनुमन्य किया जाता है कि वर्दी भत्ता तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से अनुमन्य होगा तथा इसके लिए कोई एरियर देय नहीं होगा। वर्दी भत्ते की द्विरावृत्ति नहीं की जाएगी अर्थात् यदि किसी कार्मिक को यह भत्ता पूर्व से दिया जा रहा है तो अतिरिक्त रूप से यह भत्ता देय नहीं होगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-216/दस-2022-2023, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) अपर मुख्य सचिव मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०।

(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

(3) निजी सचिव मा० मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग उ०प्र०।

(4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

(5) वित्त अधिकरी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

(6) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, 3, 4

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।